



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 24.04.2021

1-थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा, दुष्कर्म का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.04.2021 को थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1285/19 धारा 376 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त ऋषि राज पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम याकुबपुर थाना सलेमपुर जिला बुलन्दशहर को उसके निवास ग्राम याकूबपुर से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण:

ऋषि राज पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम याकुबपुर थाना सलेमपुर जिला बुलन्दशहर

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 1285/19 धारा 376 भादवि थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर



#दिनांक 24-04-2021 को पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस और पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय के निर्देशन में कोरोना के फैलते संक्रमण को रोकने के लिये जनपद के 122 स्थानों पर कराया गया सैनिटाइज

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेट के संपूर्ण पुलिस कोरोना वायरस के संक्रमण से जनपद वासियों को सुरक्षित बनाने की दिशा में विभिन्न स्तर पर कर रही है कार्यवाही

जनपद गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न भागों में फायर सर्विस की गाड़ियां शनिवार के दिन सैनिटाइजेशन करने के लिए सड़कों पर उतरी। इन गाड़ियों द्वारा सैनिटाइजेशन करते हुए कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ने का किया गया प्रयास

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेट की संपूर्ण पुलिस कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सभी जनपद वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बनाने एवं संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से विभिन्न स्तर पर निरंतर कार्यवाही सुनिश्चित कर रही है ताकि सभी जनपद वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बनाया जा सके। शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 24-04-2021 को जनपद के अंतर्गत पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर गौतम बुद्ध नगर की अग्निशमन शाखा ने सैनिटाइजेशन के लिए विशेष अभियान चलाते हुए गाड़ियों द्वारा जनपद में 122 स्थानों पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया



#जनपद में कोविड-19 महामारी के पुनः संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में पीसीआर, माइक मोबाइल जीप, पैदल गश्त टीम व स्वयं पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोविड गाइडलाइन्स, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने , दो गज की दूरी व रात्रि कर्फ्यू तथा शुक्रवार रात्रि 8:00 बजे से सोमवार प्रातः 7:00 बजे तक लागू लॉकडाउन

के सम्बंध में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति कोविड सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जुर्माना किया जाएगा।

इसी के क्रम में दिनांक 24.04.2021 को 592 व्यक्तियों पर चालान की कार्यवाही करते हुए 1,05,900 रुपये का जुर्माना वसूला गया। 686 वाहनों का चालान करते हुए कुल 49497 रुपये शमन शुल्क वसूला गया साथ ही 104 वाहनों को सीज भी किया गया।

116 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए ,23 अभियोग पंजीकृत किये गए हैं।